आदेश व इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण
प्रकरण संख्या – 31/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

ए यू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (पूर्व ए.यू. फाईनेंसर इण्डिया लिमिटेड), पंजीकृत कार्यालय : 19–ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. रविन्द्र बाल निकेतन शिक्षा समिति,
   पता – गोपावास, तहसील चौमू, जयपुर।
2. श्री मंगलचन्द शेरावत पुत्र पेमाराम,
3. श्री अभिषेक शेरावत पुत्र श्री मंगल चन्द,
   पता – ईटावा, गोपा की ढाणी, वीर सागर, तहसील चौमू, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The Application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :–

1. श्री चन्द्र शेखर बेनीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।
2. श्री अभिषेक शेरावत, केवियटकर्ता उपस्थित।

आदेश   दिनांक: 14.03.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी रविन्द्र बाल निकेतन शिक्षा समिति जरिये सचिव श्री मंगलचन्द शेरावत के स्वामित्व की संपरिवर्तित सम्पत्ति खसरा नम्बर 610/2, गोपावास, तहसील चौमू, जयपुर क्षेत्रफल 2500 वर्गगज को बन्धक रख कर दिनांक 27.02.2019 को राशि 25,00,000/– रूपये व दिनांक 20.08.2020 को राशि 4,00,000/– रूपये कुल राशि 29,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 07.01.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। श्री अभिषेक शेरावत द्वारा दिनांक 01.03.2023 को केवियट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। केवियट कर्ता को नोटिस जारी किया गया। केवियटकर्ता अप्रार्थी

जिला मजिस्ट्रेट
(ग्रामीण) जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 2 स्वयं उपस्थित। उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. केविएटकर्त्ता अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उठाई गई आपत्तियो के निस्तारण का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नही है।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणो को 29,00,000/– रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप मे प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 27,01,035/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 07.01.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था को बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। धारा–14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

5. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी रविन्द्र बाल निकेतन शिक्षा समिति जरिये सचिव श्री मंगलचन्द शेरावत के स्वामित्व की बंधक संपरिवर्तित सम्पत्ति खसरा नम्बर 610/2, भोपावास, तहसील चौमू, जयपुर क्षेत्रफल 2500 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

7. आदेश आज दिनांक 14.03.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner